

वन एवं संस्कृति विभाग  
मंत्रालय दाउ कल्याण सिंह भवन ,रायपुर

रायपुर,दिनांक 20 फरवरी 2003

क्रमांक एफ-7-6/व.सं.2002-राज्य शासन एतद् द्वारा सरई (साल ) वृक्ष (**shorea robusta**) को  
राजकीय वृक्ष घोषित करता है ।  
छत्तीसगढ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार  
जय सिंह म्हस्के उप सचिव

रायपुर,दिनांक 20 फरवरी 2003

क्रमांक एफ-7-6/व.सं./2002-भारत के संविधान के  
अनुच्छेद 348 के खण्ड(3) के अनुसरण में राजकीय वृक्ष घोषित  
करने को अधिसूचना का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार में  
एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है ।  
छत्तीसगढ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
जयसिंह म्हस्के, उप सचिव,

Raipur, the 20<sup>th</sup> February 2003

No. F-7-6/F.C./2002 – State Government hereby  
declares Sarai (Sal) Tree (Shorea robusta) as State Tree.

By Order and in the name of the Governor of Chhattisgarh  
JAI SINGH MHASKEY. Deputy Secretary